ग्रामीण विकास में मनरेगा की उपादेयता

डॉ0 अखिलेश*

भारत गाँवों का देश है। भारत में अधिकांश जनसंख्या गॉवों में ही निवास करती है। गॉव में रहने वाले लोगों का बड़ा हिस्सा अपने जीवन यापन के लिए ग्रामों में ही कृषि या गैर कृषि कार्यो पर ही निर्भर है। इन लोगों के पास आय का कोई साधन नही है तथा वे अपने लिए भोजन, मकान, पेयजल और सफाई जैसी मूलभूत सुविधॉए तक नही जुटा पातें हैं उन्हें स्थायी रूप से गरीबी रेखा के उपर ला पाने के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करना एक गम्भीर चुनौती है। स्वतंत्रत्रा प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ से ही सरकार का प्रयास रहा है कि देश के विशाल भाग में फैले ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और असमानता को दूर किया जाये तथा ग्रामीण विकास करते हुए ग्रामीण लोगों को सम्मानित जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाय।

देश की आर्थिक आयोजना तथा विकास प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्रामीण लोगों का विकास प्रमुख चिन्ता का विषय रहा है कि एक सशक्त और और आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरने तथा राष्ट्रों के बीच अपना यथोचित स्थान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास बेहद जरूरी है। विकासात्मक असंतुलनों को दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों को उचित प्राथमिक्ता देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उददेश्य कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास करना है। दसवी पंचवर्षिय योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए न केवल निधियों तथा साधनों के आवंटन के रूप में अपितु नये कार्यक्रमों को शुरू करके और विद्यमान कार्यक्रमों को पुनर्गठित करके भी ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिक्ता दी गई है। ग्रामीण विकास की नीति को इस रूप में बदला गया है। ग्रामीण गरीबों को संसाधन के रूप में माना गया है तथा उनके विचार तथा अनुभव विकास पद्धति का अभिन्न अंग बन गयें हैं। ग्रामीण विकास को महत्व देते हुए स्वतंत्रत्रा प्राप्ति के पश्चात् सामुदायिक विकास योजना की शुरूआत की गई जिसमें इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास ग्रामिणों की प्रगति और श्रेष्ठतम जीवन–स्तर के लिए प्रयास करना है इस योजना के क्रियान्वयन से देश में ग्रामीण विकास हेतु व्यवस्थित प्रयास की शुरूआत हुई। इस योजना के कार्यान्वयन से ग्राम्य जीवन की गतिहीनता समाप्त हुई है और परम्परागत प्रचलित जन रीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का जो संचार हुआ है वह आज भी परिलक्षित हो रही है। इस तथ्य से इनकार नही किया जा सकता है कि कृषि और ग्रामीण विकास सरकार की योजनात्मक विकास की सर्वोच्च प्राथमिक्ता रही है। गाँवों में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत नई प्रोधोगिकी का प्रयोग हो रहा है। गाँव अब पक्की सडकों द्वारा शहरों से अब जुडती जा रही है। संचार और दूर संचार सम्बन्धी सेवाओं का विस्तार और प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ हो गया है और साक्षरता भी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उर्जा के परम्परागत स्रोत के साथ–साथ गैर परम्परागत स्रोतों तथा सौर उर्जा, गोबर गैस, बायो गैस आदि के बढते प्रयोग ग्रामीण विकास को रेखांकित करती है। ग्रामीण विकास में चतुर्मुखी विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा गाँवों से शहरों की ओर होने वाले प्लायन को रोकने के लिए और गाँव के लोगों का गाँव में ही सर्वांगीण विकास करने के उददेश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 का निर्माण किया और उसे 2006 में लागू कर दिया गया।

देश के लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सैकडो परिवारों को जी–तोड मेहनत के वावजूद पूरे साल भरपेट रोटी नही मिलती उस पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प बाढ़ माहमारी में उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है ऐसे लोगों में अधिकतर अकुशल मजदूर शामिल हैं। इन्हीं अकुशल मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम को लागू किया। मनरेगा प्रत्येक सरकार को निर्देश देता है कि छः महिनों के भीतर रोजगार गारण्टी को तैयार करे जिससे कि रोजगार गारण्टी का क्रियान्वयन किया जा सके। इस प्रकार यह अधिनियम काम की गारण्टी को कानूनी आधार प्रदान करता है और यही इस योजना का अर्थ है जिसके माध्यम से यह गारण्टी प्रभाव में आ जाती है। यह अधिनियम एक राष्ट्रीय अधिनियम है और योजना राज्य विषयक है। इसे सन 2006–7 में 200 जिलों में लागू किया गया और 2007–8 में 130 जिले और शामिल कर लिए गये।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम ग्रामीण गरीबों के जीवन से जुडा है और उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृत संकल्प है। इस अधिनियम का मूल उददेश्य मजदूरी रोजगार को बढाना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ानें सूखा राहत कार्य, वन उन्मूलन और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे कार्यो द्वारा राष्ट्रीय विकास की ओर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करती है। इसमें महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 7 सितम्बर 2005 को

* **असिस्टेण्ट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, सोनपति देवी महिला महाविद्यालय, महराजगंज, उ0प्र0**

अधिसूचित हुआ था और वित्तीय वर्ष 2006–7 में लागू किया गया। महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम का मुख्य उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिवर्ष 100 दिन की मजदूरी की गारण्टी देना है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते है। इस अधिनियम में टीकाउ स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन करने तथा ग्रामीण निर्धनों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ करने का प्रयास किया गया है। अधिनियम में बताये गये कार्यो से सूखा वृक्षों का कटाव और मृदा अपरदन जैसे स्थायी गरीबी के कारणों का समाधान किया जाता है ताकि रोजगार का सृजन की प्रक्रिया को स्थायी आधार पर बनाये रखा जा सके जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम को तैयार हैं ताकि ग्रामीण विकास में रोजगार सुरक्षा के स्थित को और बेहतर बनाया जा सके। रोजगार गारण्टी की यह व्यवस्था कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। इस रोजगार गारण्टी से उत्पादक सम्पदाओं का निर्माण करने पर्यावरण की रक्षा करने ग्रामीण औरतों के सशक्तिकरण, गाँव से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने और समाजिक समानता सुनिश्चित करनें में सहायता मिलेगी।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम का उददेश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना हैं लेकिन गाँव में लोगों को नियम के अनुसार रोजगार प्रदान नही किये जा रहे है। भारत सरकार के वार्षिक रिपोर्ट में यह देखने को मिलता है कि औसतन 20 से 30 प्रतिशत लोंगो को ही रोजगार मिल पाया है। कई सर्वे से यह पता चला है कि ग्राम प्रधान अपने लोगों को ही रोजगार कार्ड बनाता है और उन्हीं लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है अन्य शेष लोग रोजगार से अछूते रह जाते हैं। गाँव में सर्वे से यह पता चला कि ग्राम प्रधान अपने लोगों के खातें में बिना काम किये पैसा डाल देता है और उनको 20 प्रतिशत दे देता है और 80 प्रतिशत ले लेता है। गाँव में फैले इस भष्टाचार को रोकने के लिए आडिट की व्यवस्था की गई है लेकिन सरकारी अधिकारियों के मिली भगत से यह भष्टाचार रोकने में सरकार असफल हो जा रही है। गाँव में मनरेगा द्वारा प्राप्त धनराशि का बंदर बॉट होने के कारण आज ग्राम प्रधान का चुनाव भी महंगा हो गया है।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम को जब से लागू किया गया है तब से ग्रामीण जीवन में सुधार आया है और कुछ हद तक गाँव का विकास हुआ है। मनरेगा में गाँव से शहरों को जोडने वाली सड़को का निर्माण हुआ है। गाँव की महिलाओं को काम करने से आत्म बल मिला है। गाँव की संस्कृति पोखरों से जानी जाती थी। जब से पोखरों का सौन्दर्यीकरण हो रहा है उसमें जल संचयन एवं मेले का आयोजन पोखरों पर किया जा रहा है। मनरेगा से नालों चकरोड आदि का निर्माण हुआ है। मनरेगा में भष्टाचार रोकने का सफल प्रयास किया गया तो यह कार्यक्रम गॉव के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के जरिये यह सुनिश्चित करने का यह प्रयास किया गया है कि अगर किसी ग्रामीण परिवार का कोई बयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाय। इस अधिनियम को प्रारम्भिक चरण में देश के लगभग 200 जिलों में लागू किया गया धीरे–धीरे इस कानून को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित उन इलाकों में भी लागू किया गया। लक्ष्य यह है कि पॉच साल के भीतर इस कानून को पूरे देश में लागू कर दिया जाय। महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम में कई ऐसे पहलू हैं जिसके आधार पर इसे जनता का कानून कहा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस अधिनियम कि रूपरेखा तैयार करतें हुए तमाम मुददों पर बहुत सारे जन संगठनों के साथ परामर्श की एक लम्बी प्रक्रिया चलाई। दूसरी बात यह एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से कामकाजी लोगों की जरूरतों को सम्बोधित करने और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन के उनके मूलभूत अधिकार को साकार करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरे ग्राम सभाओं, सामाजिक आडिट सहभागी नियोजन और अन्य माध्यमों से आम लोगों को भी रोजगार गारण्टी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका अदा करने का मौका देता है। कानूनों से तुलना किया जाय तो मनरेगा सचमुच ही जनता द्वारा, जनता के लिए, और जनता का कानून है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अशोक शर्मा : *भारत में स्थानीय प्रशासन,* आर0बी0एस0ए0 पब्लिशर्स जयपुर 2005।
2. डॉ0 रविशंकर जमुआर : *भारत में ग्रामीण विकास,* रीगल पब्लिकेशन्स नई दिल्ली 2008।
3. इन्द्रजीत कौर : *लोक प्रशासन,* नये क्षितिज,एस0बी0पी0डी0पब्लिशिंग हाउस आगरा।
4. श्रीवास्तव मयंक : *ग्रामीण भारत में विकास की क्रान्ति का दौर,* कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2007, नई दिल्ली।
5. डॉ बीरकेश्वर प्रसाद सिंह : *लोक प्रशासन,* ज्ञानदा प्रकाशन नई दिल्ली।
6. श्री महेश शर्मा : *महात्मा गॉधी नरेगा,* प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली 2008।
7. महात्मा गॉधी नरेगा शासनादेश 2006।
8. कुरूक्षेत्र, पत्रिका मार्च 2008 भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय।